गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या ..229......
दिनांक ..25/1/2023..

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः प.14(4)गृह–10 / 2023 जयपुर दिनांकः– 23.01.2023

–:परिपत्र:–

यत् दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 196 मे यह प्रावधान है कि राज्य के विरूद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षडयंत्र के लिए सक्षम न्यायालय उसी अवस्था में प्रसंज्ञान लेगा जब सक्षम स्तर से अभियोजन स्वीकृति जारी की गई हो।

ऐसी पत्रावलियाँ पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाती है एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी पत्रावलियाँ राज्य सरकार को प्रेषित की जाती है।

यह ध्यान में आया है कि ऐसे प्रस्तावों के साथ, जो पत्रावलियाँ प्रेषित की जाती है, उनमें समुचित दस्तावेज / सूचनाएँ संलग्न नहीं होने के कारण, पत्रावलियाँ टिप्पणी के साथ लौटाई जाती है, जिससे अभियोजन स्वीकृति पर निर्णय लेने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः यह आदेशित किया जाता है कि अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ संलग्न मार्गदर्शिका मय चैक–लिस्ट के अनुसार सूचनाएँ प्रेषित करें।

संलग्न– **मार्गदर्शिका मय चैक–लिस्ट।**

8h- VIJAY
25.1.23

आज्ञा से,

(युधिष्ठिर शर्मा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
3. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप–6) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र एवं मार्गदर्शिका मय चैक–लिस्ट वेबसाईट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करे।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त विधि परामर्शी

मार्गदर्शिका मय चैक–लिस्ट

क्र. स.	विषय		टिप्पणी
1.	**बिन्दु जिनकी पूर्ति की जानी है:–**		
	a.	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या मय थाना	
	b.	अनुसंधान के उपरान्त जिन धाराओं में आरोप–पत्र पेश किया जाना प्रस्तावित है	
	c.	मुलजिमान का नाम मय पता	
	d.	सम्पूर्ण पत्रावली पर पेजिंग	
	e.	जिला मजिस्ट्रेट का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक के प्रस्तावानुसार है अथवा नहीं, अगर नहीं तो जिला मजिस्ट्रेट इस सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी अंकित करें	
	f.	फोटोग्राफ व दस्तावेज सील कवर प्रेषित करें	
2.	**दस्तावेज, जिनका पत्रावली पर होना आवश्यक है:–**		
	a.	परिवादी का प्रार्थना–पत्र की प्रति, अगर हो तो	
	b.	प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति	
	c.	गवाहों के बयानों की प्रति	
	d.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट	
	e.	सोशल मीडिया पर अपलोड संदेश की प्रति, अगर हो तो	
	f.	सोशल मीडिया पर अपलोड संदेश को जिन व्यक्तियों ने पढ़ा या टिप्पणी की हो, के बयानों की प्रति, जहां तक सम्भव हो	
	g.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत 65–बी का प्रमाण–पत्र	
	h.	फोटोग्राफ या दस्तावेजों की छायाप्रति, प्रसंगत वीडियो/ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट	
	i.	अभियोजन अधिकारी की ब्रीफ की प्रति	
	j.	अभियोजन अधिकारी द्वारा ब्रीफ में बताई गई कमियों की पूर्ति एवं इस सम्बन्ध में सम्बन्धित थानाधिकारी की टिप्पणी	